निगरानी / टी.ए./5904/ 2005 / जिला करौली
यादराम बनाम मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
22—12—25	**एकल—पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अविनाश माथुर, अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—230 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26—10—05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादी ने एक राजस्व वाद खातेदारी घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय प्रार्थना पत्र नियुक्ति रिसीवर अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन के समक्ष निगरानी में अंकित विवादित आराजी बाबत् पेश किया। न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 बाबत् नियुक्ति रिसीवर अपने निर्णय दिनांक 27—11—03 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी सं.1 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26—10—05 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुये रिसीवर नियुक्त करना उचित नहीं मानते हुये मूल वाद के निर्णय तक मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर दिये जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि परीक्षण न्यायालय ने दावे में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी द्वारा साबित नहीं करने पर खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर में प्रस्तुत की जो कि प्राथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त है एवं उसकी खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी प्रार्थी के कब्जेकाश्त में होने से विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी को इनमिडियों नहीं माना। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की खातेदारी में होने से रिसीवर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय ने खारिज किया था तथा प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में साबित नहीं होने से स्थगन प्रार्थना पत्र भी खारिज किया था। प्रार्थी की अभिलिखित खातेदारी की आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकृत नहीं की जा सकती है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करते हुये अप्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	4. अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया। 5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादी ने एक राजस्व वाद खातेदारी घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय प्रार्थना पत्र नियुक्ति रिसीवर अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन के समक्ष निगरानी में अंकित विवादित आराजी बाबत् पेश किया। न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 बाबत् नियुक्ति रिसीवर अपने निर्णय दिनांक 27–11–03 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी सं.1 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26–10–05 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुये रिसीवर नियुक्त करना उचित नहीं मानते हुये मूल वाद के निर्णय तक मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर दिये जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी/प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त में होने से रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायसंगत नहीं माना तथा विवादित आराजी मूर्ति की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त में नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मूर्ति/अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित नहीं होना माना तथा विवादित आराजी पर कब्जा अन्य व्यक्तियों का होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध मानते हुये अप्रार्थी सं.1 वादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 खारिज किया है। अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजी को इनमीडियो नहीं माना तथा रिकोर्डेड खातेदार को उसके शांतिपूर्वक कब्जे से बेदखल नहीं किया जाना उचित मानते हुये विचारण न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्ति नहीं किये जाने के आदेश को विधिसम्मत् माना किंतु विवादित आराजी अप्रार्थी सं.1 मंदिर के होने का अनुतोष दावे में लिये जाने के आधार पर मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग मानते हुये उसके हितो की रक्षार्थ विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक मानते हुये अप्रार्थी सं.1 वादी की अपील स्वीकार कर रिसीवर की हद को छोडकर उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी के सबंध में पक्षकारान के मध्य विवाद है और निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप पक्षकरान के हक, हकूक एवं स्वत्वों का विनिश्चयन लम्बी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना अभी शेष है। वर्तमान अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू को ही देखा जाना होता है। अपीलीय न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर विस्तृत विवेचन के साथ अपना निर्णय पारित किया है। मूल वाद वर्तमान में लम्बित है तथा वर्तमान स्तर पर पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न नही हो एवं प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण में अनावश्यक जटिलतायें पैदा नहीं होने के न्यायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 की अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है तथा मूल वाद के निस्तारण तक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	दोनों पक्षों को विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखते हेतु पाबंद किया है, जिसमें कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। 6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निगरानी अधीन आदेश दिनांक 26–10–05 में विधिक अथवा तथ्य संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी खारिज किये जाने योग्य हैं। 7. परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	